नई पहल

सरकारी विद्यालयों में समाचार पत्र की अनिवार्यता (आवश्यक सुधारात्मक कदम)

वर्तमान परिदृश्य में मोबाइल के प्रचलित प्रचलन से बड़ों के साथ इसके कई दुष्प्रभाव से बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन गेमिंग और रिलस आदि में अपना समय दे रहे हैं जिससे उनकी मेमोरी क्षमता प्रभावित हो रही है ,आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसके साथ - साथ कई मानसिक तनाव कम उम्र ही बच्चो को झेलना पड़ता है ।कई बार बच्चे मोबाइल पर सोशल मीडिया के भ्रामक खबरों से खुद को जोड़ लेते है।कुछ स्थिति में तो बच्चे परिवार और समाज से भी कट जाते है।ऐसे में अखबार जो कि प्राचीन समय से अब तक लोगो के बीच लोकप्रिय है।सरकार के द्वारा जारी किए गए लाभुक योजनाओं सहित कई जानकारियां भी अखबारों के माध्यम से प्रेषित की जाती है। आज वर्तमान में हमारे बीच का ये अखबार विद्यालयों में बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।

आज पूरे दुनिया सहित भारत में भी बच्चो को मोबाइल से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।सोशल मीडिया का सीमित उपयोग से बचपन को बचाया जा सकता है और बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनने में मदद मिल सकती है।

केस 1

मद्रास हाई कोर्ट का एक आम सुझाव है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। डिजिटल युग में मोबाईल की लत से बच्चों को बचाना को कड़े कानून की जरूरत पर केंद्र सरकार से विचार करने की अपील ।

मद्रास हाई कोर्ट का अहम सुझाव • बच्चों की सुरक्षा का मामला

16 साल से कम उम्र तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए : हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा- ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाने पर विचार करे केंद्र सरकार

भास्कर न्यूज | मदुरै

भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर एक कानून बनाने पर विचार करे। यह कानून ऑस्ट्रेलिया की तरह हो सकता है, जहां बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक है। जस्टिस जी. जयाचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन ने कहा- बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर उम्र सीमा तय की जानी चाहिए। जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनता, तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में मांग की गई है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पैरेंटल विंडो सर्विस देने का निर्देश दें और बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाने के लिए अभियान चलाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट बच्चों के लिए उपलब्ध है, जो चिंता का विषय है।

माता-पिता की जिम्मेदारी भी ज्यादा...

इंटरनेट पर कोई घृणित सामग्री मौजूद है तो उसे देखने या न देखने का चुनाव और अधिकार व्यक्तिगत है, लेकिन बच्चों के मामले में जोखिम बहुत अधिक है, इसलिए माता-पिता की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है।

- जस्टिस जी. जयाचंद्रन

केस 2

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ने यदि मोबाइल देखा तो सख्ती वाला कानून टूटने पर सजा बच्चों के नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनी को होती है।

समाचार पत्र की अनिवार्यता पर विशेष बल क्यों?

लम्बे समय से अखबार हम सभी के सूचना प्राप्ति का एक साधन है।भले बढ़ते टेक्नोलॉजी से लोग मोबाइल को सूचना और संचार का साधन मानते है पर हकीकत ये भी है कि ग्रामीण,दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी देश - दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन अखबार ही है।

अखबार ही हमारे स्थानीय खबरों को हम तक पहुंचाने में मददगार है।

कुछ ही पन्नो में ही सही पर सारी दुनिया अपने हाथों में होती है।

जब यह अखबार विद्यालय में सरकारी विद्यालयों के बच्चो के बीच उपलब्ध होगी तो यकीनन इसके फायदे से बच्चे लाभान्वित होगे।

अन्य राज्य भी उठा रहे हैं कदम।

छात्रों की नॉलेज बढ़ाने और स्क्रीन टाइम घटाने के लिए सरकार का नया कदम

यूपी के स्कूलों में अखबार पढ़ना अब अनिवार्य

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में रोज सुबह अखबार पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए एक अनिवार्य गतिविधि होगी। योगी सरकार ने इसका आदेश जारी करने के साथ ही स्कूलों के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में 'पढ़ने की संस्कृति' को मजबूत करना और स्क्रीन टाइम को कम करना है। 23 दिसंबर को माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश में इस योजना का विवरण दिया गया है। इसके तहत स्कूल की लाइब्रेरी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अखबार

सामान्य ज्ञानः असेंबली के समय 10 मिनट प्रमुख समाचार पढ़े जाएंगे

आदेश के अनुसार, असेंबली यानी सुबह की सभा के दौरान कम से कम 10 मिनट अखबार पढ़ने के लिए समर्पित किए जाएंगे। इस समय के दौरान, छात्र बारी-बारी से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और खेल समाचारों के प्रमुख संपादकीय और प्रमुख समाचार घटनाक्रम पढ़ेंगे। यह अभ्यास उन्हें फर्जी खबरों के प्रति संवेदनशील बनाएगा।

शब्द भंडारः अखबारों से रोज पांच नए शब्द सीखने का अभ्यास भी

'वर्ड ऑफ द डे' अभ्यास में अखबारों से पांच कठिन शब्द चुनकर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे छात्रों की शब्दावली में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल छात्रों के सामान्य ज्ञान, शब्दावली, सामाजिक जागरूकता में सुधार करेगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करेगी।

संपादकीय आधारित समूह चर्चा भी होंगीः अखबार पढ़ने के अलावा, स्कूलों को छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल में अखबार या मैगजीन का प्रकाशन, कक्षा नौ से 12 के लिए संपादकीय आधारित लेखन या समूह चर्चा का आयोजन, क्रॉसवर्ड और सुडोकू प्रतियोगिताओं की मेजबानी करना शामिल है। जूनियर छात्रों के बीच समाचार कटिंग का उपयोग करके स्क्रैपबुक बनाने को भी बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।

बच्चों के लिए बड़े काम के होगे अखबार

- बच्चो को डिजिटल युग के दुष्प्रभाव से बचा सकते है।
- बच्चो के सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने में बहुत उपयोगी होगा।
- बच्चो के रीडिंग स्किल को विकसित करेगा।
- दोपहर के खाली समय में बच्चे में खेल के साथ बच्चो का साथी बनेगा।
- बच्चों के सीखने और शब्द भंडार ज्ञान को बढ़ाने में अवसर प्रदान करेगा।
- बच्चे पुराने अखबार का उपयोग कर उससे कई प्रकार की कागज की आकृति या ठोंगा बनाने की कला से कला कौशल का विकास करेंगे।
- बच्चों का सीखने के लिए मोबाईल पर निर्भरता कम होगी और चिंतन और तर्क क्षमता बढ़ेगी।

क्या पूर्व में किसी विद्यालय में इस नवाचार का प्रयोग हुआ है ?

हां बिल्कुल।बिहार के कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड में न्यू प्राथमिक विद्यालय हरनाटांड़ के प्रधान शिक्षक धीरज कुमार द्वारा अपने विद्यालय में बच्चों के लिए चेतना सत्र के अंत में 10 मिनट का समय बच्चो को समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की जानकारी देते हुए और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के पूछताछ कर बच्चों को प्रोत्साहित करने में किया जा रहा है।धीरज कुमार जबसे प्रधान शिक्षक बने से अपने निजी खर्च से प्रतिदिन अखबार को स्कूल में लाते है और अपने सहयोगी शिक्षकों के द्वारा उपरोक्त कार्य करवाते है।इस नवाचारी कार्य से बच्चों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ी है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के इनके बच्चे दिन प्रतिदिन की खबरों से खुद को जोड़ते है।

बच्चे खुद को आपदा से बचाने की जानकारी भी शिक्षकों से प्राप्त करते है। उदाहरण के लिए अगस्त में बारिश में मौसम में गड्ढे में गिरने से हुई घटना को जानकर बच्चे पानी के गड्ढे वाले स्थान से दूर हो कर स्कूल आने लगे।अपने स्थानीय खबरों से भी बच्चे बड़े खुश होते है।बच्चो को अखबार से चित्र दिखा कर पूछने पर बच्चे संबंधित व्यक्ति यथा मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री, खिलाड़ी आदि को देख कर पहचानते है और उनके बारे में बताते है। इसके साथ ही पुराने अखबार से शिक्षक इनके कला कौशल का भी विकास करते है।

दैनिक भास्कर

2025-08-22

सासाराम / कैमूर भास्कर (4)

समाचार पत्र की खबरों से बच्चों में कई पहलू से होता है विकास: धीरज कुमार

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

भभुआ प्रखंड क्षेत्र के न्यू प्राथमिक विद्यालय हरनाटाड में बच्चों को चेतना सत्र के समापन के समय बच्चो को बैठा कर दैनिक भास्कर के प्रमुख खबरों को बच्चों के बीच शिक्षिका वंदना वंशदेव द्वारा प्रस्तुत किया गयाजिसमें गोपालगंज की खबर को बताते हुए कहा गया कि हमें पानी गड्ढे,पोखर के पास नहीं खेलना चाहिए।इसके साथ भारत के मित्र देश रूस द्वारा तेल की खबर को भी बच्चो को बताते हुए खेल और अन्य जानकारी दी गई।चेतना सत्र में समाचार पत्र से प्रमुख खबर को बच्चो के बीच प्रस्तुत करने के लिए प्रधान शिक्षक धीरज कुमार के द्वारा ये शुरुआत की गई है।उन्होंने ने बताया कि चेतना सत्र में बच्चों के बीच समाचार पत्र की खबरों को प्रस्तुत करने से बच्चों में कई पहलू से विकास होता है।बच्चे देश दुनिया की खबरों से परिचित होते हुए सामान्य ज्ञान की जानकारी से अपना ज्ञान बढ़ाते है।बच्चो के द्वारा अखबार पढ़ने से उनमें पढ़ने का कला का विकास होता है।चेतना सत्र में प्रधान शिक्षक धीरज कुमार के साथ रमेश कुशवाहा,शशिरेखा कुमारी,नीलम कुमारी, वंदना यादव की भूमिका रही।

कार्यक्रम में शामिल शिक्षक-शिक्षिका व बच्चे।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से सादर अपील

बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में आयोजित होने वाले चेतना सत्र एवं विद्यालय के दैनिक शैक्षणिक क्रियाकलापों में समाचार पत्र वाचन को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

शिक्षा विभाग से विनम्र आग्रह है कि समाचार पत्र वाचन को विद्यालयों की नियमित दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाते हुए चेतना सत्र में इसे संस्थागत रूप प्रदान किया जाए, ताकि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर जीवन से जुड़ा हुआ बन सके।

धन्यवाद

www.teachersofbihar.org